भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न सं.-**13**53

उत्तर देने की तारीख-**08.12.2025**

सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लए चुनौतियाँ

1353. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

श्री नलेश ज्ञानदेव लंके:

डॉ. शवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या *शक्षा* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार को जानकारी है क नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम (आरटीई) 2009 के लागू होने के पंद्रह वर्ष बाद भी देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे स्कूलों तक पहुँचने/स्कूली शक्षा प्राप्त करने में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस समस्या की गंभीरता और व्यापकता को समझने के लए कोई अध्ययन कया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के सामने आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु कोई कार्रवाई की गई है/प्रस्ता वत है; और

(घ) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार और दादरा एवं नगर हवेली सहित संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) शक्षा सं वधान की समवर्ती सूची में है और अ धकांश स्कूल संबं धत राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्रा धकार में आते हैं, जो नि शुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार (आरटीई) अ धनियम, **2009** के अंतर्गत समु चत सरकार हैं।

शक्षा का अ धकार अ धनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शक्षा की गारंटी देता है और नजदीकी स्कूलों के लए न्यूनतम मानदंड निर्धारित करता है। प्राथ मक स्कूलों तक सार्वभौ मक पहुंच सुनिश्चित करने के लए, आरटीई अ धनियम की धारा 6 निर्धारित क्षेत्र या नजदीकी सीमा के भीतर उपयुक्त सरकार द्वारा स्कूलों की स्थापना को अनिवार्य करती है।

वर्ष 2018-19 और 2024-25 से स्कूल शक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौ मक पहुंच में सुधार करने में प्रगति हुई है, जैसा क सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) से पता चलता है, जो उस वर्ष में कुल गांवों/बस्तियों में से एक वर्ष में निर्दिष्ट दूरी के मानदंड के भीतर स्कूल वाले कुल गांव/बस्तियां हैं।

वर्ष	प्राथ मक	उच्च प्राथ मक	माध्य मक	उच्चतर माध्य मक
2018-19	97.15	96.49	88.24	65.05
2024-25	97.83	96.57	95.35	94.97

इसके अलावा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र दादर और नगर हवेली के लए वर्ष 2018-19 और 2024-25 के लए सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) स्कूल शक्षा के सभी स्तरों पर बेहतर सार्वभौ मक पहुंच को दर्शाता है-

वर्ष **2018-19:**

□□□□□	□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□	99.45	99.70	83.92	50.31
□□□□□□□□□□	95.51	84.84	94.08	55.23
□□□□ □□ □□□ □□□□□	100.00	100.00	90.83	43.64

वर्ष **2024-25:**

□□□□□	□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□	99.53	99.78	94.58	91.95
□□□□□□□□□□	97.83	91.35	89.77	85.82
□□□□ □□ □□□ □□□□□	100.00	100.00	98.30	85.92

स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग 2018-19 से स्कूल शक्षा के लए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शक्षा लागू कर रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय शक्षा नीति, 2020 की सफारिशों के अनुरूप कया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है क सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणात्मक और समग्र शक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जिससे उनकी व वध पृष्ठभू म, बहुभाषी आवश्यकताओं, व भन्न शैक्ष णक क्षमताओं का ध्यान रखा जा सके और उन्हें सीखने की प्र क्रया में स क्रय भागीदार बनाया जा सके।

समग्र शक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल शक्षा के सार्वभौ मकरण के लए व भन्न गति व धयों को शुरू करने के लए वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्य मक स्तर तक नए स्कूल खोलने/सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, वाइब्रेंट वलेज प्रोग्राम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे का वकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बा लका वद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय वद्यालयों की स्थापना, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लए छात्रावासों का निर्माण, असंतृप्त अनुसू चत जनजाति आबादी के लए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अ भयान के तहत छात्रावासों का निर्माण, पात्र बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म और प्राथ मक स्तर पर निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और प्रतिधारण अ भयान चलाना शा मल हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-उपयुक्त प्रवेश के लए वशेष प्र शक्षण और बड़े बच्चों के लए आवासीय के साथ-साथ गैर-आवासीय प्र शक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय श वर, कार्यस्थलों पर वशेष प्र शक्षण केंद्र, परिवहन/एस्कॉर्ट सु वधा को भी औपचारिक स्कूली शक्षा प्रणाली में लाने के लए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से उनकी शक्षा पूरी करने के लए सहायता शा मल है। वशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लए छात्रोन्मुखी घटक के अंतर्गत वशेष आवश्यकता वाले बच्चों, सहायक यंत्रों और उपकरणों, ब्रेल कट और पुस्तकों, उपयुक्त शक्षण अ धगम सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि की पहचान और मूल्यांकन के लए वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****